संख्या– 35 /XVIII-(2)/2006

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादून: दिनांक 10, फरवरी, 2006

विषयः– **जनपद ऊधमसिंहनगर में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 767/तेरह–सी.आर.ए./2005, दिनांक 31.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड सितारगंज क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत के 10 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 26.57 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार संलग्न विवरणानुसार रू0 26,20,000/– (रू0 छब्बीस लाख बीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके विपरीत इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कडाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित हैं। सूची में जो कार्य नय हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यो का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि उक्त तिथि को कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वो समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 63/वित्त अनु0 5/2006 दिनांक 6.2.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
5– कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं मा0 उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या– 60 /XVIII-(2)/2006

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादून: दिनांक 08 फरवरी, 2006

विषयः– **जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 3267/13–27(2004–2005), दिनांक 1.9.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत के 2 कार्यों के रू0 5.69 लाख के आगणन के तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 5,43,000/– (रू0 पांच लाख तैतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है यह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत/ मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी

द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 58/वित्त अनु0 5/2006 दिनांक 6.2.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
3– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
4– कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
7– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
8– वित्त अनुभाग–3।
9– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या–123 / XVIII-(2) / 2005

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 08, फरवरी, 2006

विषयः– **जनपद बागेश्वर में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–161 / तेरह–सी.आर.ए. / 2004–05 दिनांक 23.11.2004 एवं पत्र संख्या–994 / तेरह–सी.आर.ए. / दै0आ0 / 2005 दिनांक 13.11.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचायत कनौं क्षेत्रांतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त ओखलिया से मां के मन्दिर तक पैदल मार्ग मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 11.93 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परिक्षणोपरान्त टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत लागत के अनुसार रू0 10,08,000 / – (रू0 दस लाख आठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण कर संबन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य ली जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्ठयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3– कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये है वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4– कार्य कराने से पूर्व स्थल आवश्यकतानुसार विस्तृत / मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय एवं जिन आगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अवश्य कराये जाय, तथा इसका सत्यापन अधि0अभि0 स्वयं करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित / स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय।

7– कार्य प्रारम्भ से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा

जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/ विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।

8– दैवी आपदा राहत निधि से कृत कार्यों का यथास्थान चिन्हांकन कर इसकी लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारम्भ व अन्त करने की तिथि का अंकन कर दिया जायेगा।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जायेंगे, और इन पर लागत में कोई पुनरीक्षण अनुनन्य नहीं होगी। कार्य कराते समय नियमानुसार टेण्डर के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11– कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो लेकर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी, ताकि कार्य की सत्यता का प्रमाणीकरण किया जा सके।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें– 01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42– अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 60/वित्त अनु0 5/2006 दिनांक 6.2.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– अपर सचिव, नियोजन विभाग।
5– कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
8– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।
9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
10– वित्त अनुभाग–5,
11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या–126 /XVIII-(2)/2006

प्रेषक,

वी. के. पाठक,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास

देहरादूनः दिनांक 16 फरवरी, 2006

विषयः– **अनुदान संख्या–6 लेखा शीर्षक 2245 के अंतर्गत दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के संबन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्यो हेतु जिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण कर और संबन्धित आगणनों का टी.ए.सी. से परीक्षण कराकर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, परन्तु समस्त वित्तीय स्वीकृति के शासनादेशों में निम्नानुसार निर्देश जिलाधिकारियों को पुनः दिये जाते रहे हैः–

"स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। सूची में जो कार्य नये हो, उस कार्य को निरस्त कर शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय"।

उपरोक्त निर्देशानुसार सभी स्वीकृत कार्यो के पुनः जांच कराये जाने पर विलम्ब होता है जिस कारण मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को शीघ्र धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाती है और मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण का कार्य समयबद्ध रूप से सम्पादित नहीं हो पाते हैं, जबकि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो का मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण शीघ्र किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पुनः जांच कराये जाने विषयक उक्त प्राविधान के स्थान पर **"स्वीकृत कार्यो में यदि किसी नये कार्यो का होना संज्ञान में आये तो शासन को शीघ्र अवगत कराया जाय"** पढ़ा जाय।

2– समस्त वित्तीय स्वीकृति शासनादेश इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय शेष शर्तें वित्तीय स्वीकृति शासनादेशों की यथावत् रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल।

3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।

4– अपर सचिव, नियोजन विभाग।

5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

7– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।

8– निजी सचिव, मा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य आपदा राहत समिति, उत्तरांचल।

9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

10– वित्त अनुभाग–5,

11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. पाठक)
अपर सचिव

General letter-1

10020600।